डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस
संजीवसिंह बनाम डा़ अमरसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 127/2019 व हाजरी वादी

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दइ व .... डिकरी दी जाती है कि

खाता सं. 8 के आराजी खसरा नम्बरान 1192 रकवा 0.71 है. 1193 रकवा 0.71 है. 1305 रकवा 0.75 है., 1334 रकवा 0.49 है., 1368 रकवा 0.15 है. ,1369 रकवा 0.20 है., 1386 रकवा 0.20 है,. 1388 रकवा 0.10 है., 1503 रकवा 0.87 है., 352 रकवा 0.21 है., 693 रकवा 0.34 है. 912 रकवा 0.35 है. 914 रकवा 0.37 है. 915 रकवा 0. 40 है. 916 रकवा 0.38 है. 920 रकवा 0.22 है. 932 रकवा 0.37 है. 974 रकवा 0.06 है. किता 18 रकवा कुल 6.93 हैक्टे. वाके मौजा नाम व खाता सं. 5 के आराजी खसरा नम्बरान 284 रकवा 0.98 है. 285 रकवा 0.02 हैक्टे. किता 2 रकवा कुल 1.00 हैक्टे. वाके मौजा खेड़ा तहसील नदबई में स्थित है, पर प्रतिवादी स. 1 अमरसिंह के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर विवादित आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी स. 1 को 1/3 हिस्से को व तरतीवी प्रतिवादी स. 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बेज -- मुबलिग ------ बावत ---------- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ----------- फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ---------- की अदा करें ।

दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05.01.2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— (सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर) 05.01.2021

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

1. संजीवसिंह पुत्र श्री डॉ. अमरसिंह जाति जाट निवासी नामखेड़ा हाल निवासी गोपालगढ़ जिला भरतपुर (राज0)।

वादी

बनाम

1. डॉ. अमरसिंह पुत्र श्री अजमतसिंह जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई हाल निवासी गोपालगढ भरतपुर ।
   --असल प्रतिवादी
2. राजीव सिंह पुत्र श्री डा. अमरसिंह जाति जाट निवासी नाम खेड़ा तहसील नदबई हाल निवासी गोपालगढ़ भरतपुर जिला भरतपुर।

तर. प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 127/2019
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.01.2021

1. संजीवसिंह पुत्र श्री डॉ. अमरसिंह जाति जाट निवासी नामखेड़ा हाल निवासी गोपालगढ़ जिला भरतपुर (राज0)। वादी

बनाम

1. डॉ. अमरसिंह पुत्र श्री अजमतसिंह जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई हाल निवासी गोपालगढ भरतपुर । --असल प्रतिवादी
2. राजीव सिंह पुत्र श्री डा. अमरसिंह जाति जाट निवासी नाम खेड़ा तहसील नदबई हाल निवासी गोपालगढ़ भरतपुर जिला भरतपुर। तर. प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में वादी व प्रतिवादीगण में से कोई भी पक्षकारन नावालिग एवं फातरूल अक्ल नहीं है। सभी दावा लड़ने में सक्षम है।
2. यह कि खाता सं. 8 के आराजी खसरा नम्बरान 1192 रकवा 0.71 है. 1193 रकवा 0.71 है. 1305 रकबा 0.75 है., 1334 रकवा 0.49 है., 1368 रकवा 0.15 है. ,1369 रकवा 0.20 है., 1386 रकवा 0.20 है,. 1388 रकवा 0.10 है., 1503 रकवा 0.87 है., 352 रकवा 0.21 है., 693 रकवा 0.34 है. 912 रकवा 0.35 है. 914 रकवा 0.37 है. 915 रकवा 0.40 है. 916 रकवा 0.38 है. 920 रकवा 0.22 है. 932 रकवा 0.37 है. 974 रकवा 0.06 है. किता 18 रकवा कुल 6.93 हैक्टे. वाके मौजा नाम व खाता सं. 5 के आराजी खसरा नम्बरान 284 रकवा 0.98 है. 285 रकवा 0.02 हैक्टे. किता 2 रकवा कुल 1.00 हैक्टे. वाके मौजा खेड़ा तहसील नदबई में स्थित है, हाल जमाबन्दी संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वादी की पैत्रिक आराजी है जो असल प्रतिवादी स. 1 को वादी के बाबा अजमत से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। तथा विवादित आराजी में वादी 1/3 हिस्से का पैत्रिक आधार [illegible]दार है व हिस्सेदार है। लेकिन खानदान होने की वजह से विवादित आराजी असल प्रतिवादी [illegible] नाम दर्ज चली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

आ रही है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आराजी में वर्तमान इन्द्राज को कलमजन कराकर विवादित आराजी में 1/3 वादी को व 1/3 असल प्रतिवादी सं. 1 को व 1/3 हिस्से का तर. प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

4. यह कि वादी दिनांक 15.07.2019 को अपने 1/3 हिस्से को जोतने बोने गया तो असल प्रतिवादी ने वादी को उसके हिस्से की आराजी को जोतने बोने नहीं दिया तथा खुलेआम धमकी दी कि विवादित आराजी मेरे नाम है। इसलिए इस आराजी में आपका कोई हिस्सा नहीं है। और में आपको कोई हिस्सा जोतने बोने नहीं दूंगा। अगर प्रतिवादी असल अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गया तो वादी को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरै नकद से नहीं हो सकेगी। इसलिए वादी असल प्रतिवादी सं. 1 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह अधिकारी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी के 1/3 हिस्से से वादी को जोतने बोने से नही रोकें । तथा विवादित आराजी को रहन, बय , मुन्तकिल नहीं करें।

5. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में वर्णित आराजी मुतनाजा व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र श्रवण के अधिकार श्रीमान जी के समक्ष पेश करना पड़ा है।

6. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में वर्णित आराजी मुतनाजा व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र श्रवर्ण के अधिकार श्रीमान जी के पास बखूबी हासिल है।

7. यह कि कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार चस्पा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी के हाल इन्द्राज को कलमजन कर वादी को पैत्रिक आधार पर 1/3 हिस्से का व असल प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा व तर. प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ब)यह कि असल प्रतिवादी सं. 1 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 2 के 1/3 हिस्से से वादी को जोतने बोने से नहीं रोकें व आराजी को ता फैसला वाद रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी 1 व 2 उपस्थित हुये तथा इनकी ओर से श्री सुरेशसिंह एण्डवोकेट उपथित हुऐ। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इकवाल दावा पेश किया गया जिसमें मुताबिक दावा प्रार्थना अनुसार स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाने की सहमती दी गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संबत 2075–78 वाके ग्राम नाम प्रदर्श –1व 2, नकल जमाबन्दी संवत 2015 वाके ग्राम नाम प्रदर्श 2 व 3 कित 1 लगायत 5, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नामखेड़ा प्रदर्श–4 किता 1 लगायत 9, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम खेड़ा प्रदर्श –5 किता 1 लगायत 12, तथा मौखिक बयान के रूप में. शपथपत्र वादी संजीवसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी नामखेड़ा, देवीसिंह पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासी बुढवारी कला तहसील नदबई, यादराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी बुढवारी कला तहसील नदबई जिला भरतपुर पेश किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया, तो पाया कि खाता सं. 8 के आराजी खसरा नम्बरान 1192 रकवा 0.71 है. 1193 रकवा 0.71 है.1305 रकवा 0.75 है. 1334 रकवा 0.49 है. 1368 रकवा 0.15 है. 1369 रकवा 0.20 है. 1386 रकवा 0.20 है. 1388 रकवा 0.10 है. 1503 रकवा 0.87 है. 352 रकवा0.21 है. 693 रकवा 0.34 है. 912 रकवा 0.35 है. 914 रकवा 0.37 है. 915 रकवा 0.40 है. 916 रकवा 0.38 है. 920 रकवा 0.37 है. 974 रकवा 0.06 है. किता 18 रकवा कुल 6.93 हैक्टे. वाके मौजा नाम व खाता सं. 5 के आराजी खसरा नम्बरान 284 रकवा 0.98 है. 285 रकवा 0.02 हैक्टे. किता 2 रकवा कुल 1.00 हैक्टे. वाके मौजा खेड़ा तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 अमरसिंह पुत्र अजमतसिंह जाति जाट निवासी नाम के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा विवादित आराजी वादी के बाबा अजमत से विरासत के रूप में प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पैत्रिक आराजीयात है जो कि नकल जमाबन्दी संवत 2015 वाके ग्राम नाम प्रदर्श 2 व 3 कित 1 लगायत 5, से साबित है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नाम खेड़ा प्रदर्श–4 किता 1 लगायत 9, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम खेड़ा प्रदर्श –5 किता 1 लगायत 12, में हाल व गत खसरा नम्बरान का मिलान होता है। परन्तु उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी स. 1 अमरसिंह के नाम दर्ज [illegible] है। मौखिक बयान के रूप में शपथपत्र वादी संजीवसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट [illegible] देवीसिंह पुत्र रूपसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट निवासी बुढवारी कला तहसील नदबई, यादराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी बुढवारी कला तहसील नदबई जिला भरतपुर पेश किये गये, जिसमें भी उक्त आराजी को पैत्रिक बताया गया है। तथा पैत्रिक आराजी में वादी का जन्म से हि हिस्सा निहित होता है। एवं उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 1 के 2 पुत्र भी जो वादी व तर. प्रतिवादी स. 2 है। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 ने अपनी और से इकबाल दावा भी पेश किया गया है जिसमें वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है कि हम प्रतिवादीगण व वादी की पैत्रिक आराजी है ऐसी स्थिति में वादी को विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का व असल प्रतिवादी स. 1 को 1/3 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी स. 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने में पूर्ण रूप से सहमत है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी स. 1 अमरसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड के रूप में चली आ रही है जो कलमजन के है, अतः प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि खाता सं. 8 के आराजी खसरा नम्बरान 1192 रकवा 0.71 है. 1193 रकवा 0.71 है. 1305 रकवा 0.75 है., 1334 रकवा 0.49 है., 1368 रकवा 0.15 है. ,1369 रकवा 0.20 है., 1386 रकवा 0.20 है,. 1388 रकवा 0.10 है., 1503 रकवा 0.87 है., 352 रकवा 0.21 है., 693 रकवा 0.34 है. 912 रकवा 0.35 है. 914 रकवा 0.37 है. 915 रकवा 0.40 है. 916 रकवा 0.38 है. 920 रकवा 0.22 है. 932 रकवा 0.37 है. 974 रकवा 0.06 है. किता 18 रकवा कुल 6.93 हैक्टे. वाके मौजा नाम व खाता सं. 5 के आराजी खसरा नम्बरान 284 रकवा 0.98 है. 285 रकवा 0.02 हैक्टे. किता 2 रकवा कुल 1.00 हैक्टे. वाके मौजा खेड़ा तहसील नदबई में स्थित है, पर प्रतिवादी स. 1 अमरसिंह के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर विवादित आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी स. 1 को 1/3 हिस्से को व तरतीवी प्रतिवादी स. 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कमे की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official